

दिनांक Date: 27.01.2021

सूचना के अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत जानकारी के तहत निम्नलिखित प्रार्थी द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नलिखित है।

This has reference to the RTI received from Mr. Akhilesh Tripathi having Reg. no PGCIL/R/E/21/00003.

क्र.सं.	मांगी गयी जानकारी	मानव संसाधन विभाग द्वारा प्रेषित जानकारी/जवाब
1	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल में दिसंबर 2020 तक अर्धशासकीय/ वैनिक वेतन/ अनुबंधित समस्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की सत्यापित प्रति प्रदान करें।	लागू नहीं है। चूंकि पावरग्रिड, भोपाल से ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई है।
2	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल में दिसंबर 2020 तक समस्त पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार किए जाने वाले पैनल हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्र बायोडाटा एवं संलग्न आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची प्रदान करें।	वांछित सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, आवेदक ने इस जानकारी को सार्वजनिक हित में सिद्ध नहीं किया है।
3	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल में दिसंबर 2020 तक समस्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित समस्त नोटशीट के प्रत्येक पृष्ठ की एवं संबंधित समस्त पत्राचार की सत्यापित प्रति प्रदान करें।	वांछित सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, आवेदक ने इस जानकारी को सार्वजनिक हित में सिद्ध नहीं किया है।
4	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल में दिसंबर 2020 तक समस्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हेतु गठित छानबीन समिति का प्रतिवेदन एवं क्रमबार वरीयता योग्यता सूची की सत्यापित प्रति प्रदान करें।	लागू नहीं है। चूंकि पावरग्रिड, भोपाल से ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई है।
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल में दिसंबर 2020 तक समस्त पदों पर नियुक्ति हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल द्वारा संबंधित मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के सत्यापित प्रति प्रदान करें।	लागू नहीं है। चूंकि पावरग्रिड, भोपाल से ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई है।
6	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल में दिसंबर 2020 तक समस्त पदाधिकारियों की समस्त पदों की नियुक्ति का आदेश एवं प्रकाशित सूचना की सत्यापित प्रति प्रदान करें।	वांछित सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, आवेदक ने इस जानकारी को सार्वजनिक हित में सिद्ध नहीं किया है।

मिथिलेश कुमार
(मिथिलेश कुमार) 27/1
वरि. महाप्रबंधक (मा.सं.)